	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	ज्येष्ठ 17, गुरुवार, शाके 1934–जून 7, 2012 *Jyaistha 17, Thursday, Saka 1934–June 7, 2012*	

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(ग्रुप–1)

अधिसूचना

जयपुर, जून 7, 2012

जी.एस.आर. 16:–राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 22) की धारा 12 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सुनवाई का अधिकार नियम, 2012 है।

(2) ये 11 जून, 2012 से ही प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**–इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''**अधिनियम**'' से राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 22) अभिप्रेत है;

(ख) ''**केन्द्र**'' से अधिनियम की धारा 5 के अधीन स्थापित सूचना और सुगम केन्द्र अभिप्रेत है;

(ग) ''**प्ररूप**'' से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है; और

(घ) ''**धारा**'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदिष्ट किया गया है।

3. परिवाद.–(1) कोई व्यक्ति, जो अधिनियम के अधीन सुनवाई चाहता है, प्ररूप 1 में या सादे कागज पर परिवादी का नाम और पता और परिवाद की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए, लोक सुनवाई अधिकारी को परिवाद प्रस्तुत करेगा।

(2) परिवाद लोक सुनवाई अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी या केन्द्र के प्रभारी के द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(3) लोक सुनवाई अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या केन्द्र उस व्यक्ति को, जो परिवाद फाइल करना चाहता है, प्ररूप 1 उपलब्ध करायेगा और प्ररूप 1 को भरने में या, यथास्थिति, सादा कागज पर परिवाद करने में उसकी सहायता करेगा।

(4) परिवाद की प्राप्ति पर प्रत्येक परिवाद पर, लोक सुनवाई अधिकारी या उस व्यक्ति द्वारा, जो परिवाद प्राप्त करता है, एक विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक दिया जायेगा और ऐसा विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक सभी स्तरों पर अर्थात् परिवाद की सुनवाई, प्रथम अपील, द्वितीय अपील और पुनरीक्षण में प्रयुक्त किया जायेगा।

4. अभिस्वीकृति.– परिवाद की प्राप्ति पर लोक सुनवाई अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या केन्द्र, प्ररूप 2 में परिवादी को परिवाद की अभिस्वीकृति देगा।

5. परिवाद का अन्तरण.– जहां कोई परिवाद लोक सुनवाई अधिकारी को किया जाता है और उसका यह विचार है कि परिवाद की विषयवस्तु दूसरे लोक सुनवाई अधिकारी के कृत्यों से संसक्त है या दूसरे लोक सुनवाई अधिकारी की अधिकारिता में आती है तो वह परिवाद को ऐसे दूसरे लोक सुनवाई अधिकारी को अन्तरित कर देगा और परिवादी को ऐसे अन्तरण के बारे में सात दिन के भीतर सूचित करेगा।

6. सुनवाई के दिवस.– प्रत्येक लोक सुनवाई अधिकारी अधिनियम के अधीन प्राप्त परिवादों की सुनवाई के लिए सप्ताह में कम से कम दो दिवस नियत करेगा और उसे उसके कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्ररूप 4 में अधिसूचित किया जायेगा।

7. परिवादों की सुनवाई.– लोक सुनवाई अधिकारी परिवाद की प्राप्ति पर, नियत समय सीमा के भीतर, परिवादी को सुनवाई का अवसर उपलब्ध करायेगा और उसे विनिश्चित् करेगा। लोक सुनवाई अधिकारी नियत समय सीमा के भीतर प्ररूप 4 में अपने विनिश्चय से परिवादी को संसूचित करेगा।

8. सूचना पट्ट पर सूचना का प्रदर्शन.– लोक सुनवाई अधिकारी अधिनियम के अधीन सुनवाई से सम्बन्धित समस्त सुसंगत सूचना प्ररूप 4 में सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा। सूचना पट्ट लोक सुनवाई अधिकारी के कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाया जायेगा।

9. नियत समय सीमा की संगणना.– इन नियमों के अधीन नियत समय सीमा की संगणना करते समय लोक अवकाशों की गणना नहीं की जायेगी।

10. सुनवाई उपलब्ध कराने में प्रत्याख्यान या विलम्ब.– लोक सुनवाई अधिकारी, नियत समय सीमा के भीतर, परिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और यदि सुनवाई के अवसर का प्रत्याख्यान किया जाता है या उसमें विलम्ब किया जाता और नियत समय सीमा के भीतर विनिश्चय से संसूचित नहीं किया जाता है तो लोक सुनवाई अधिकारी परिवादी को निम्नलिखित से संसूचित करेगाः–

(i) ऐसे प्रत्याख्यान का विलम्ब के कारण;

(ii) वह कालावधि, जिसके भीतर ऐसे प्रत्याख्यान या विलम्ब के विरुद्ध अपील की जा सकेगी; और

(iii) सुसंगत अपील प्राधिकारी के बारे में जानकारी।

11. फीस.– परिवाद, प्रथम अपील या द्वितीय अपील के ज्ञापन और पुनरीक्षण आवेदन के साथ कोई फीस संदेय नहीं होगी।

12. प्रथम अपील या द्वितीय अपील के ज्ञापन और पुनरीक्षण आवेदन की अन्तर्वस्तु.– प्रथम अपील या द्वितीय अपील के प्रत्येक ज्ञापन और पुनरीक्षण आवेदन में निम्नलिखित जानकारी विनिर्दिष्ट होगीः–

(i) अपीलार्थी या यथास्थिति, पुनरीक्षण के आवेदक का नाम और पता;

(ii) लोक सुनवाई अधिकारी, अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (3) के उपबंधों के अधीन नामनिर्दिष्ट अधिकारी के रूप

में माने गये अधिकारी या कर्मचारी, प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी, जिसके आदेश के विरुद्ध या जिसने विलम्ब किया या प्रत्याख्यान किया, अपील या पुनरीक्षण किया गया, का नाम और पता;

(iii) उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण किया गया, की विशिष्टियां;

(iv) यदि अपील परिवाद की अभिस्वीकृति के इंकार के विरुद्ध है तो परिवाद की तारीख और उस लोक सुनवाई अधिकारी का नाम और पता जिसे परिवाद प्रस्तुत किया गया था;

(v) अपील या पुनरीक्षण के आधार;

(vi) चाहा गया अनुतोष; और

(vii) कोई अन्य सुसंगत जानकारी जो अपील या पुनरीक्षण के निपटारे के लिये आवश्यक हो।

13. प्रथम अपील, द्वितीय अपील या पुनरीक्षण के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज.– अपील के ज्ञापन या पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे, अर्थात्:–

(i) उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण किया गया है, की स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित प्रति;

(ii) अपील के ज्ञापन या पुनरीक्षण आवेदन में उल्लिखित दस्तावेजों की प्रतियां; और

(iii) अपील के ज्ञापन या पुनरीक्षण आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की अनुक्रमणिका।

14. प्रथम अपील, द्वितीय अपील या पुनरीक्षण को विनिश्चित् करने की प्रक्रिया.– प्रथम अपील, द्वितीय अपील या पुनरीक्षण को विनिश्चित् करते समय,–

(i) सुसंगत दस्तावेजों, लोक दस्तावेजों या उनकी प्रतियों का परीक्षण किया जायेगा;

(ii) समुचित जांच, यदि अपेक्षित हो, के लिये कोई अधिकारी प्राधिकृत किया जा सकेगा; और

(iii) लोक सुनवाई अधिकारी या, यथास्थिति, प्रथम अपील प्राधिकारी को पुनरीक्षण में सुना जा सकेगा।

15. सुनवाई की सूचना की तामील.– प्रथम अपील, द्वितीय अपील या, यथास्थिति, पुनरीक्षण की सुनवाई की सूचना निम्नलिखित में से किसी भी रीति में तामील की जायेगी, अर्थात्:–

(i) पक्षकार या स्वयं व्यक्ति द्वारा;

(ii) आदेशिका तामीलकर्ता के माध्यम से;

(iii) रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा; या

(iv) सम्बन्धित विभाग के माध्यम से।

16. स्वीय उपसंजाति.– (1) अपीलार्थी या, यथास्थिति, पुनरीक्षण के आवेदक को सुनवाई की तारीख से, ऐसी तारीख से कम से कम सात पूर्ण दिवस पूर्व सूचित किया जायेगा।

(2) अपीलार्थी या, यथास्थिति, पुनरीक्षण का आवेदक अपील या पुनरीक्षण की सुनवाई के समय व्यक्तिशः उपस्थित हो सकेगा या सुनवाई में उपस्थित नहीं होने का विकल्प दे सकेगा।

(3) यदि यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण अपीलार्थी या पुनरीक्षण का आवेदक सुनवाई में उपस्थित होने से निवारित किया गया है तो अंतिम विनिश्चय लेने से पूर्व, अपील या, यथास्थिति, पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपीलार्थी या पुनरीक्षण के आवेदक को सुनवाई का एक अवसर दिया जायेगा या कोई अन्य समुचित कार्रवाई कर सकेगा जो वह उचित समझे।

(4) यदि कोई पक्षकार सुनवाई की नियत तारीख की सूचना की सम्यक् तामील के पश्चात् भी अनुपस्थित रहता है तो अपील या, यथास्थिति, पुनरीक्षण आवेदन उसकी अनुपस्थिति में निपटाया जायेगा।

17. अपील या पुनरीक्षण में आदेश.– (1) अपील या पुनरीक्षण का आदेश खुली कार्यवाहियों में सुनाया जायेगा और अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा लिखित में पारित किया जायेगा।

(2) प्रथम अपील प्राधिकारी के आदेश की प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क दी जायेगी।

(3) द्वितीय अपील प्राधिकारी के आदेश की प्रति अपीलार्थी, सम्बन्धित सुनवाई अधिकारी और प्रथम अपील प्राधिकारी को दी जायेगी।

(4) शास्ति अधिरोपित करने के मामले में, द्वितीय अपील प्राधिकारी आदेश की एक प्रति निम्नलिखित को भी पृष्ठांकित करेगा :–

(क) लोक सुनवाई अधिकारी के आगामी वेतन से शास्ति की रकम वसूल करने के निदेश सहित आहरण एवं वितरण अधिकारी को; और

(ख) कोषाधिकारी को।

(5) जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी ने लोक सुनवाई अधिकारी या लोक सुनवाई अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या कर्मचारी, यथास्थिति, प्रथम अपील प्राधिकारी के विरुद्ध विभागीय जाँच की सिफारिश की है वहाँ वह उसके द्वारा पारित आदेश की प्रति आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सम्बन्धित अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजेगा।

(6) जहां किसी पुनरीक्षण में द्वितीय अपील प्राधिकारी का आदेश पुनरीक्षित या उपांतरित किया जाता है वहां पुनरीक्षण प्राधिकारी उक्त आदेश की एक प्रति द्वितीय अपील प्राधिकारी और उप–नियम (4) और (5) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को भेजेगा।

18. शास्ति की वसूली.–(1) अधिनियम की धारा 7 के अधीन शास्ति के अधिरोपण के आदेश की प्राप्ति पर आहरण एवं वितरण अधिकारी, पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के अध्यधीन रहते हुए, सम्बन्धित लोक सुनवाई अधिकारी के आगामी वेतन से शास्ति की रकम वसूल करेगा और उसे सरकारी लेखा में निक्षिप्त करेगा तथा चालान की एक प्रति सम्बन्धित द्वितीय अपील प्राधिकारी को भेजेगा।

(2) यदि पुनरीक्षण में द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश पुनरीक्षित या उपांतरित किया जाता है तो ऐसे आदेश की प्रति अनुपालन के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी और संबंधित कोषाधिकारी को भेजी जायेगी।

19. अभिलेख का रखा जाना.– लोक सुनवाई अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी मामलों के अभिलेख प्ररूप 5, प्ररूप 6, प्ररूप 7 या, यथास्थिति, प्ररूप 8 में रखेंगे।

20. सूचना और सुगम केन्द्र की स्थापना.–(1) राज्य सरकार सूचना और सुगम केन्द्र की स्थापना कर सकेगी जिसमें ग्राहक सेवा केन्द्र,

काल सेन्टर, हैल्प डेस्क और जन सहायता केन्द्र या कोई भी अन्य ई–मित्र, राजीव गांधी सेवा केन्द्र या सूचना और सुगम केन्द्र के रूप में कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत अन्य संस्थाएं सम्मिलित हो सकेंगी।

(2) यदि परिवाद प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किसी सूचना और सुगम केन्द्र द्वारा कोई परिवाद प्राप्त किया जाता है तो सूचना और सुगम केन्द्र का प्रभारी उसे तुरन्त संबंधित लोक सुनवाई अधिकारी को अन्तरित करेगा और ऐसे अन्तरण में लगे समय की गणना विहित समय–सीमा में नहीं की जायेगी।

(3) परिवाद पर दिये गये विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और परिवाद पर की गयी कार्रवाई या परिवाद के अन्तरण को जनता की शिकायत की दक्ष और प्रभारी सुनवाई के लिए ऑनलाइन भी किया जायेगा।

(4) परिवादों को प्राप्त करने, रजिस्टर करने और मानीटर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक राज्य व्यापी नेटवर्क विकसित किया जा सकेगा।

21. क्रियान्वयन की मानीटरी.– राज्य सरकार परिवादों की समयबद्ध सुनवाई की केन्द्रीयकृत मानीटरी के लिए और अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के क्रियान्वयन और मानीटरी के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु एक पद्धति विकसित कर सकेगी।

22. प्रसार और प्रशिक्षण.– राज्य सरकार, वित्तीय और अन्य स्रोतों की उपलब्धता की सीमा तकः–

(i) जनता की, विशेषकर अलाभान्वित समुदायों की, समझ विकसित करने के लिए, कि अधिनियम के अधीन अनुध्यात अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाये, प्रचार और कार्यक्रमों को विकसित तथा संचालित कर सकेगी;

(ii) ऊपर खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों के विकास और संचालन में भाग लेने और ऐसे कार्यक्रमों का स्वयं जिम्मा लेने के लिए लोक प्राधिकारियों को प्रोत्साहित कर सकेगी;

(iii) परिवादों की सुनवाई और परिवादों की समय–सीमा तथा प्रक्रिया के बारे में लोक प्राधिकारियों द्वारा सही सूचना के समयबद्ध और प्रभावी प्रसार को बढ़ा सकेगी;

(iv) लोक सुनवाई अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी और पुनरीक्षक प्राधिकारी को अधिनियम के अधीन उनके कर्तव्यों के सम्बन्ध में प्रशिक्षित कर सकेगी ;

(v) ऐसी सूचना वाले मार्गदर्शन को, आसानी से समझने योग्य प्ररूप और रीति में, जो अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अधिकार के प्रयोग की वांछा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित किया जाये, संकलित कर सकेगी; और

(vi) ऊपर खण्ड (v) में निर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धान्तों को नियमित अन्तरालों पर अद्यतन और प्रकाशित कर सकेगी जिसमें विशिष्टतया और खण्ड (v) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सम्मिलित होगा :–

(क) अधिनियम के उद्देश्य;

(ख) रीति और प्ररूप जिसमें लोक सुनवाई अधिकारी को सुनवाई के लिए अनुरोध किया जायेगा या अपील प्राधिकारियों को अपील फाइल की जायेगी;

(ग) अधिनियम के अधीन सुनवाई का अवसर अभिप्राप्त करने के सम्बन्ध में बनाये गये कोई भी अतिरिक्त विनियम या जारी किये गये परिपत्र।

23. राज्य सरकार द्वारा निदेश.–राज्य सरकार अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन, अधिनियम के अधीन फाइल किये गये मामलों के अधीक्षण के लिए और लोक सुनवाई अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी, पुनरीक्षण प्राधिकारी और आहरण एवं वितरण अधिकारी के कार्यालयों के निरीक्षण के लिए कोई भी निदेश, समय–समय पर जारी कर सकेगी।

प्ररूप 1

आवेदन का प्ररूप

(नियम 3 देखिए)

प्रेषिती,

लोक सुनवाई अधिकारी,

.....

.....

(लोक सुनवाई अधिकारी का नाम
और कार्यालय का पता)

1. परिवादी का नामः .....
2. पिता का नामः .....
3. पताः .....
   दूरभाष नं./मोबाइल नं. .....
4. परिवादः
   (क) दावाकृत फायदा या अनुतोषः
   .....
   .....
   .....
   (पृथक् पन्ना संलग्न किया जाये)
   (ख) अधिकारी और विभाग का नाम जिससे परिवाद संबंधित हैः
   .....
5. यदि परिवाद के समर्थन में दस्तावेज संलग्न किये हैं तो दस्तावेजों के ब्योरे :
   (i)
   (ii)
   (iii)
6. क्या पूर्व में परिवाद किया है हां/नहीं
   (यदि हां, तो अधिकारी/विभाग का नाम दीजिए)
7. पूर्व परिवाद पर प्राप्त जवाबः हां/नहीं
   (यदि हां तो जवाब के ब्योरे दीजिए)

8. अन्य कोई सूचना जिसका आवेदक उल्लेख करना चाहे : .....

तारीखः .....

परिवादी के हस्ताक्षर

(कृपया अपने परिवाद की अभिस्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त करें)

प्ररूप 2

अभिस्वीकृति

(नियम 4 देखिए)

विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण सं. ..... दिनांक : .....

1. परिवादी का नामः .....
2. परिवाद के साथ संलग्न दस्तावेजों की सं. .....
3. परिवाद की सुनवाई के लिए नियत तारीखः .....
4. कोई अन्य विशिष्टियां जिनका लोक सुनवाई अधिकारी उल्लेख करना चाहेः .....

स्थानः .....

दिनांकः .....

प्राप्तिकर्ता के हस्ताक्षर

नाम और मुहर सहित पदनाम

प्ररूप 3

(नियम 7 देखिए)

कार्यालय का नाम/विभागः .....

सं. ..... दिनांकः .....

1. लोक सुनवाई अधिकारी का नामः .....
2. परिवादी का नामः .....
3. परिवाद के विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक का संदर्भ और तारीखः .....
4. परिवाद का विषयः .....

5. सुनवाई की तारीखः.....

.....

विनिश्चय

लोक सूचना अधिकारी
के हस्ताक्षर

.....

यदि परिवादी विनिश्चय से व्यथित है तो वह प्रथम अपील प्राधिकारी को तीस दिन के भीतर अपील फाइल कर सकेगाः (प्रथम अपील प्राधिकारी के ब्योरे) .....

लोक सुनवाई अधिकारी
के हस्ताक्षर

प्ररूप 4

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के अधीन सुनवाई में संबंधित सूचना

(नियम 8 देखिए)

लोक सुनवाई अधिकारी का नामः .....

कार्यालय का पताः .....

1	2		3
1.	आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम	:	....
2.	परिवाद की सुनवाई के लिए नियत दिवसों की संख्या	:	दिवस .....
3.	परिवाद के निपटारे के लिए नियत समय सीमा	:	
4.	प्रथम अपील फाइल करने के लिए समय सीमा	:	नियत समय–सीमा के अवसान से विनिश्चय की तारीख से तीस दिवस के भीतर

1	2		3
5.	द्वितीय अपील फाइल करने के लिए समय सीमा	:	प्रथम अपील प्राधिकारी के विनिश्चय की तारीख से तीस दिवसों के भीतर
6.	प्रथम अपील प्राधिकारी का नाम और पता	:	....
7.	द्वितीय अपील प्राधिकारी का नाम और पता	:	....
8.	परिवाद पर विनिश्चय की संसूचना की समय सीमा	:	

टिप्पणः कृपया अपने आवेदन की अभिस्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त करें।

लोक सुनवाई अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 5

नामनिर्दिष्ट लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले रजिस्टर का प्ररूप

(नियम 19 देखिए)

लोक सुनवाई अधिकारी के कार्यालय का नामः .....

मास ..... वर्ष .....

क्र. सं.	विशिष्ट रजि.सं.	परिवाद के प्राप्ति की तारीख	आवेदक का नाम और पता	परिवाद का विषय	नियत समय सीमा की अंतिम तारीख	आवेदन मंजूर/ नामंजूर/अन्य लो. सु.अधि. को अन्तरित किया गया
1	2	3	4	5	6	7

पारित आदेश की तारीख और ब्यौरे	विनिश्चय की तारीख	आवेदक को भेजे गये विनिश्चय की सूचना की तारीख
8	9	10

प्ररूप 6

प्रथम अपील प्राधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले रजिस्टर का प्ररूप

(नियम 19 देखिए)

प्रथम अपील प्राधिकारी के कार्यालय का नामः .....

.....

क्र. सं.	प्रथम अपील फाइल करने की तारीख	परिवाद का विशिष्ट रजि. सं.	अपीलार्थी का नाम और पता	लो.सू. अधि. का नाम और पता	नियत समय सीमा की अंतिम तारीख	अपील प्रतिगृहीत की गयी / नामंजूर	विनिश्चय की तारीख	अपीलार्थी को भेजे गये विनिश्चय की सूचना की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्ररूप 7

(नियम 19 देखिए)

द्वितीय अपील प्राधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले रजिस्टर का प्ररूप

द्वितीय अपील प्राधिकारी के कार्यालय का नाम :

क्र. सं.	द्वितीय अपील फाइल करने की तारीख	परिवाद का विशिष्ट रजि.सं.	अपीलार्थी का नाम और पता	लो. सू. अधि. / प्रथम अपील प्राधिकारी का नाम और पता	अपील प्रतिग्रहीत की गयी / नामंजूर	शास्ति (यदि कोई हो) रु.	विनिश्चय की तारीख	अपीलार्थी को भेजे गये विनिश्चय की सूचना की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्ररूप 8

(नियम 19 देखिए)

पुनरीक्षण प्राधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले रजिस्टर का प्ररूप

पुनरीक्षण प्राधिकारी के कार्यालय का नाम और पताः .....

.....

क्र. सं.	पुनरीक्षण फाइल करने की तारीख	परिवाद का विशिष्ट रजि.सं.	पुनरीक्षण में आवेदक का नाम और पता	लो. सू. अधि. / प्रथम अपील प्राधिकारी का नाम और पता	पुनरीक्षण प्रतिगृहीत किया गया / नामंजूर	शास्ति (यदि कोई हो) रु.	विनिश्चय की तारीख	भेजे गये विनिश्चय की सूचना की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9

[संख्या एफ.13(1) एआरएण्डसी / ग्रुप–1 / 2012]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. आर.पी.जैन,

प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
ज्येष्ठ 17, गुरुवार, शाके 1934–जून 7, 2012	
Jyaistha 17, Thursday, Saka 1934–June 7, 2012	

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(ग्रुप–1)

अधिसूचनाएं

जयपुर, जून 7, 2012

संख्या एफ. 13(1) एआरएण्डसी/ग्रुप–1/2012:–राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के अधीन प्रथम अपील के निपटारे के लिए, अपील के फाइल किये जाने की तारीख से, 21 दिवस नियत समय सीमा के रूप में इसके द्वारा अधिसूचित करती है।

जयपुर, जून 7, 2012

संख्या एफ. 13(1) एआरएण्डसी/ग्रुप–1/2012:–राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के अधीन परिवाद की सुनवाई और निपटारे के लिए, परिवाद की प्राप्ति की तारीख से 15 दिवस नियत समय सीमा के रूप में इसके द्वारा अधिसूचित करती है।

जयपुर, जून 7, 2012

संख्या एफ. 13(1) एआरएण्डसी/ग्रुप–1/2012:–राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 22) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार विभागों के प्रभारी सचिवों को, उनके अपने–अपने विभागों के लिए, पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में इसके द्वारा नामनिर्दिष्ट करती है।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ''प्रभारी सचिव'' से अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव या सचिव अभिप्रेत है जो तत्समय सम्बन्धित विभाग का सम्पूर्ण प्रभारी है।

जयपुर, जून 7, 2012

संख्या एफ. 13(1) एआरएण्डसी/ग्रुप–1/2012:–राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, परिवाद या अपील के विनिश्चय की संसूचना के लिए सात दिवस की नियत समय सीमा इसके द्वारा अधिसूचित करती है।

राज्यपाल के आदेश से,
डॉ. आर.पी.जैन,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
ज्येष्ठ 17, गुरुवार, शाके 1934–जून 7, 2012	
Jyaistha 17, Thursday, Saka 1934–June 7, 2012	

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(ग्रुप–1)

अधिसूचना

जयपुर, जून 7, 2012

संख्या एफ.13(1) एआरएण्डसी/ग्रुप–1/2012:–राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, इसके द्वारा निम्नानुसार लोक सुनवाई अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी और द्वितीय अपील प्राधिकारी अधिसूचित करती है:–

क्र. सं.	परिवाद की विषय वस्तु का स्तर	लोक सुनवाई अधिकारी	प्रथम अपील प्राधिकारी	द्वितीय अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1.	पंचायत	1. पटवारी, राजस्व मामलों के लिए	तहसीलदार	राज्य सरकार द्वारा गठित उप–खण्ड लोक शिकायत एवं सतर्कता समिति की उप–समिति
		2. ग्राम सेवक, राजस्व से भिन्न मामलों के लिए	ब्लॉक विकास अधिकारी	राज्य सरकार द्वारा गठित उप–खण्ड लोक शिकायत एवं सतर्कता समिति की उप–समिति
2.	तहसील	1. तहसीलदार, उसकी अधिकारिता में के राजस्व मामले	उप–खण्ड अधिकारी	राज्य सरकार द्वारा गठित जिला लोक शिकायत एवं सतर्कता समिति की उप–समिति
		2. ब्लॉक विकास अधिकारी, राजस्व को छोड़कर पंचायती राज को अन्य विभागों के अन्तरित क्रियाकलापों से संबंधित मामलों को सम्मिलित करते हुए तहसील स्तर के मामले,	उप–खण्ड अधिकारी	राज्य सरकार द्वारा गठित जिला लोक शिकायत एवं सतर्कता समिति की उप–समिति
3.	उप–खण्ड	1. उप–खण्ड अधिकारी, उसकी अधिकारिता में के अधीन राजस्व मामलों के लिए	राज्य सरकार द्वारा गठित जिला लोक शिकायत एवं सतर्कता समिति की उप–समिति	संभागीय आयुक्त

1	2	3	4	5
		2. संबंधित विभागों के समस्त उप–खण्ड स्तर के अधिकारी उनके विभागों से संबंधित परिवादों के लिए	राज्य सरकार द्वारा गठित जिला लोक शिकायत एवं सतर्कता समिति की उप–समिति	संभागीय आयुक्त
4.	जिला	1. अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्व मामलों से संबंधित परिवादों के लिए	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट	संभागीय आयुक्त
		2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला परिषद्, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित परिवादों के लिए	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट	संभागीय आयुक्त
		3. अन्य विभागों के जिला स्तर के अधिकारी, उनके अपने–अपने विभाग से संबंधित परिवादों के लिए	क्षेत्रीय/खण्ड स्तर के अधिकारी	संभागीय आयुक्त
		4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं आयुक्त, नगर निगम, नगर निगम से संबंधित परिवादों के लिए	महापौर, नगर निगम	प्रभारी सचिव, स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग
		5. आयुक्त, नगर परिषद् , नगर परिषद् से संबंधित परिवादों के लिए	सभापति, नगर परिषद्	राज्य सरकार द्वारा गठित जिला लोक शिकायत एवं सतर्कता समिति की उप–समिति
		6. कार्यपालक अधिकारी, नगरपालिक बोर्ड नगरपालिक बोर्ड से संबंधित परिवादों के लिए	अध्यक्ष, नगरपालिक बोर्ड	राज्य सरकार द्वारा गठित जिला लोक शिकायत एवं सतर्कता समिति की उप–समिति
5.	संभाग	1. अतिरिक्त खण्ड आयुक्त, राजस्व मामलों और खण्ड आयुक्त के कार्यालय से संबंधित अन्य मामलों के परिवादों के लिए	संभागीय आयुक्त	राजस्व बोर्ड/संबंधित प्रमुख सचिव
		2. संबंधित विभागों के क्षेत्रीय/खण्ड स्तर के अधिकारी, उनके विभागों से संबंधित परिवादों के लिए	संभागीय आयुक्त	विभाग का प्रभारी सचिव

राज्यपाल के आदेश से,
डॉ. आर.पी. जैन,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।